डीजी परिपत्र संख्या - 62 /2016

जावीद अहमद,

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः नवम्बर 04 , 2016

विषयः-प्रवेश में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003) का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्यालय स्तर से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003) का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। पूर्व निर्गत परिपत्रों में तम्बाकू उत्पादों का विशेष रूप से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003), बच्चों को तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करने से रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आप सभी को पालनार्थ प्रेषित किये गये हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व प्रेषित उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया जा रहा है। आप अवगत है कि पूर्व प्रेषित परिपत्रों में विशेष रूप से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003)(अधिनियम संख्या : 34 सन् 2003 की धारा-7(2)) में प्राविधानित किया गया है कि"No person shall carry on trade or commerce in cigarettes or any other tobacco products unless every package of cigarettes or any other tobacco products sold, supplied or distributed by him bears thereon or on its label the specified warning." उक्त अधिनियम की धारा-20 में प्रथम बार उल्लघंन किये जाने पर 01 वर्ष का कारावास व रू0 1000/- का प्राविधान है। पश्चातवर्ती अपराध किये जाने पर 02 वर्ष के कारावास व रू0 3000/- का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लघंन करता है तो उक्त अधिनियम की धारा - 20 के अधीन दण्डित किया जायेगा जैसा कि आप सभी को इस सम्बन्ध में पूर्व में अनुपालनार्थ दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

परिपत्र संख्या : 05/12 दिनांक 30.01.2012
परिपत्र संख्या : 40/13 दिनांक 24.07.2013
परिपत्र संख्या : 72/15 दिनांक 22.10.2015
डीजी-सात-एस-तीन(249)09/2016 दिनांक 16.05.2016

उक्त अधिनियम की धारा - 4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है तथा सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन प्रतिक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय व अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पट लगाया जाना आवश्यक है के साथ ही धारा - 6(अ) में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है एवं धारा - 6(ब) में वर्णित है कि शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है के सम्बन्ध में आप सभी को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है।

उक्त अधिनियम की धारा - 12(1) में प्राविधानित है कि Any police officer, not below the rank of sub-inspector or any officer of State Food or Drug Administration or any other officer, holding the equivalent rank being not below the rank of Sub-Inspector of Police, authorised by the Central Government or by the State Government may, if he has any reason to suspect that any provision of this Act has been, or is being, contravened, enter and search in the manner prescribed, at any reasonable time, any factory, building, business premises or any other place-

(a) where any trade or commerce in cigarettes or any other tobacco products is carried on or cigarettes or any other tobacco products are produced, supplied or distributed or

(b) where any advertisement of the cigarettes or any other tobacco products has been or is being made.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure 1973, shall apply to every search and seizure made under this Act.

उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा अपने पत्र संख्याः-1958/पॉच-7-2015 रिट-45/2013 दिनांक 6.10.2015 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है कि "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (अधिनियम संख्या-34 सन 2003) की धारा-7 की उपधारा(2) के अनुसरण में राज्यपाल अधिसूचित करते है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उ0प्र0 राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, जो इसका उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन दण्डित किया जायेगा।" उपरोक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये है। उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा अपने पत्र संख्याः-92/पॉच-7-2015 रिट-45/2013 दिनांक 22.1.2016 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द"विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना" को निकाल दिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू हो गया है।

आप सहमत होगें कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री से निःसन्देह बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। ऐसे उत्पादों से बच्चों को मुक्त कराने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया जाये एवं इसके प्रयोग के प्रति उन्हे संवेदनशील बनाया जाये।

मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित निर्देशों, चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना व सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम-2003) का आप स्वयं अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों से सभी राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों को विस्तार से अवगत करा दें कि बच्चों को विशेष रूप से तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उनके द्वारा प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु स्कूलों के समीप/सिनेमा हाल/पार्क/बार/ रेस्टोरेन्ट/दुकानों/सार्वजनिक स्थलों आदि का चिन्हांकन कर लें एवं इन स्थानों पर बच्चों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न होने देना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जायें ताकि आम जनता को भी इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी हो सके। इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेगें।

भवदीय

4.11.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इन निर्देशों का अपने अधिकार क्षेत्र में पालन कराने हेतु।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को इन निर्देशों का अपने अधिकार क्षेत्र में पालन कराने हेतु।